अपील सूचना अधिकार संख्या 07/2018 हरपाल सिंह सुधन एडवोकेट निवासी चैबर नंबर 5ए कचहरी परिसर रायसिंहनगर, जिला–श्रीगंगानगर बनाम लो0सू0अ0 एवं प्र0अ0, न्याय शाखा कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर

09–05–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह सुधन उपस्थित नहीं है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर से जवाब/प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी यह अपील लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2018 को प्रस्तुत किया था, जिस पर अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 31.01.2018 की अप्रसन्नता यह अपील दिनांक 08.02.2018 को प्रेषित की है जिसमें अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 31.01.2018 को सूचना के अधिकार 2005 के विपरीत बताकर निरस्त करने की प्रार्थना की है और साथ ही वांछित सूचनाए उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह सुधन, अधिवक्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.01.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> **प्रार्थी के दादा लछमन सिंह पुत्र सुरजन सिंह कश्मीरी ब्राह्मण सिख, साकिन 22 एनपी थाना रायसिंहनगर द्वारा सन् 1952 से 1964 के मध्य (अधिकतम संभावना सन् 1955 से 1959 के मध्य) बंदूक का लाईसेंस जारी करवाया गया था। कृपया यह बताएं कि यह लाइसेंस किस तिथि को बनवाया गया एवं नवीनीकरण सहित किस तिथि तक यह प्रभावशाली रहा।**

अति. जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या एफ17(1)( ) न्याय/2017/880 दिनांक 31.01.2018 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आपके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना से तात्पर्य विभाग में संधारित अभिलेख से संबंधित है।

प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 16.12.2011 के अनुसार लोक सूचना अधिकार द्वारा सूचना अर्जित करना, सूचना के अधिकार के दायरें में नहीं आता। सूचना उसी रूप में दी जा सकती है जिस रूप में विभाग में संधारित हो।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र 10 जुलाई, 2009 के अनुसार सूचना उसी रूप में प्रदान की जा सकती हैं। जिस रूप में प्राधिकारण के पास उपलब्ध तथ्यों को संकलन कर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है।

अतः आप द्वारा चाही गई सूचना विस्तृत है। जिसे उपलब्ध करवाने में लोक प्राधिकरण के संसाधनों का अनुपातिक रूप से विचलन होता है। अतः धारा 7(9) के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।

अपील पत्र पर टिप्पणी चाहे जाने पर लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई हैं।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। ऐसी दशा में लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिया गया उत्तर दिनांक 31.01.2018 सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर